Tender Form sale upto 01.00 pm 13.12.2017
Tender Reciept up to 02.00 pm 13.12.2017
Tender Opening 03.00 pm 13.12.2017
Estimated Cost Rs 1.00 Lacs
Earnest money Rs 2000/-

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव–2018, जोधपुर
दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018

निविदा सूचना संख्याः प.रा.उ./2018/05

निविदा फार्म शुल्क 200/–

1.	विषय जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जानी है।	**माईक व्यवस्था**
2.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता मय टेलीफोन नं. सहित	मैसर्स : ____________ डाक का पताः ____________ ____________ टेलीफोन नं. : ____________ पैन नं0 ____________ जी.एस.टी. नं. ____________

3. निविदा सूचना संख्याः प.रा.उ./2018/05 जो " दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., उद्योग भवन, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम सहमत है, तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो सलंग्न पृष्ठो में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठो पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है। का पालन करने के लिये हम सहमत है।

4. कार्य आदेश प्राप्त होने की दिनॉक से 10 दिवस अथवा दिनांक 03.01.2017 जो भी पहले हो तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। अन्यथा निगम द्वारा निर्धारित हर्जाने का जिम्मेदार रहॅुगा।

5. अमानत राशि हेतु दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय राशि ....रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट या रोकड जमा की रसीद संख्या .... दिनांक .... दर्शावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव–2018, जोधपुर
दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018

<u>माईक व्यवस्था</u>

''एच'' शेड्यूल

(लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे)

धरोहर राशि 2000/–

क्रसं.	कार्य का विवरण		दरें
1.	अ. रावण का चबूतरा मैदान के सम्पूर्ण मैदान में लगी दूकानों, पण्डाल, ऑफिस ब्लॉक इत्यादि को एड्रेस करने हेतु उपयुक्त संख्या में कमेटी के निर्देशानुसार संख्या में आवश्यक सामान जैसेः– माइक्रोफोन सेट, लाउडस्पीकर, साउण्ड कॉलम, कॉर्ड लेस माईक, सी डी रिकॉर्डर, सी डी/केसेट प्लेयर, बेटरी एवं वायरिंग आदि की आपूर्ति कर मैदान में उपयुक्त स्थानों पर बताये गये निर्देशानुसार लगाना व संचालन करना। उक्त सभी सामान नवीनतम तकनीकी वाले तथा अच्छी दशा में होने चाहिए ।	**राशि मेला अवधि**	
	ब. प्रतिदिन सेमिनार हॉल में होने वाली सेमिनार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगने वाले सभी आधुनिक उपकरणों एवं लाईटस् की स्थापना व संचालन।	**राशि मेला अवधि**	
	स. एलईडी वॉल बैक ड्रोप हेतु 10' x 20' की लगाना, संचालित करना।	**राशि मेला अवधि**	
	द. सांस्कृतिक कार्यक्रम के दिन एलईडी वॉल 12' x 12' की लगाना, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एवं संचालित करना, प्रतिदिन एवं प्रति वॉल की दर।	**दर प्रतिदिन प्रति वॉल**	

प्रस्तुत दरें सभी जी.एस.टी. के अतिरिक्त करो व उपकरों सहित है । जी.एस.टी.नियमानुसार अलग से देय होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय नाम, पता व टेलीफोन नं. सहित
मोबाईल नं.

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव–2018, जोधपुर
दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018

माईक व्यवस्था

शर्तेः–

1. निविदादाता को निविदा बन्द लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
2. लिफाफा मे निविदादाता निम्न दस्तावेज/सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा ।
   अ. निविदादाता के पास उपलब्ध माईक सबंधी सामान की सूची प्रस्तुत करें ।
   निविदादाता के स्वयं के पास निविदा में दर्शाई गई मात्रा में सामान उपलब्ध होना आवश्यक है।
   ब. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट या रोकड़ जमा करायी हो तो रसीद सं .... व दिनॉक ....।
   स. बड़े उत्सव, मेला एवं प्रदर्शनी आयोजन में माईक व्यवस्था का कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। बड़े आयोजन से तात्पर्य यह है कि निविदादाता ने किसी विशेष मेला अथवा प्रर्दशनी आयेाजन में कम से कम 0.40 लाख रूपये का कार्य किया हो। निविदादाता कार्य के संतोषप्रद निष्पादन का प्रमाण–पत्र मय कार्य आदेश प्रस्तुत करेगा। इसके अभाव में किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। केवल अनुभवी निविदादाताओं को ही कार्य आवंटन किया जावेगा ।
3. आदेश प्राप्ति के पश्चात् 2 दिन में 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि नगद/डिमाण्ड ड्राप्ट के रूप में जमा करानी होगी । धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर लिया जावेगा ।
4. परिवहन, भराई, ढुलाई, लेबर चार्जेज, वायर बिछावत आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। सम्भावित 2 दिवसों की बढोतरी अधिकतम हो सकती है । इस स्थिति में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा ।
5. किसी प्रकार की टूट फूट, कमी–बेसी एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये निगम जिम्मेदार नहीं होगा। तथा सामान की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी मय अग्नि के लिए ठेकेदार स्वयं की होगी । इस हेतु उचित व्यवस्था/बीमा इत्यादि व्यय स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी ।
6. सामान की तादाद आवश्यकतानुसार घटाई बढाई जा सकती है ।
7. सामान को कार्यक्रम के पूर्व/दौरान/पश्चात्, हटाने लगाने एवं परिवहन इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
8. किसी मिटिंग आदि की व्यवस्था होने पर माईक आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेला समन्वयक/गठित कमेटी के निर्देशानुसार लगाकर चालू करना होगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा ।
9. निगम न्यूनतम दर वाली सविंदा स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और व किसी भी निविदा या उसके अंश को बिना कोई कारण बताये निगम द्वारा अस्वीकार की जा सकती है।
10. अन्य स्थानों पर सामग्री ठेकेदार स्वयं को अपने खर्चे पर पहुॅचा कर लगानी होगी । सामान अच्छा व साफ सुथरा ही स्वीकार होगा । कार्य चालू करने से पूर्व लगाये जाने वाले सामान को कमेटी से जॉच कराया जायेगा ।
11. सामान को उचित निर्देशों पर लगवाना तथा पूरे कार्यकाल तक चालू रखने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
12. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा । मेले में लगी हुई सभी वस्तुओं का सत्यापन मेले की चालू अवधि में गठित कमेटी से करवानें की जिम्मेवारी ठेकेदार स्वयं की होगी व मेले में लगे हुए माल का सत्यापन मेला शुरू होने के 4 दिवस के भीतर करवाना होगा । विवादास्पद मामलो के सम्बन्ध में 10 से 25 प्रतिशत की राशि रोकी जावेगी जिसका भुगतान

विवाद समाप्ति पर किया जावेगा । उपर वर्णित शेडूयल के अलावा उत्सव स्थल पर ओर कोई भी कार्य कराने हेतु निगम स्वतन्त्र होगी ।

13. कार्य का निष्पादन मेला समन्वयक/गठित कमेटी के निर्देशानुसार निर्धारित दिनांक 03.01.2018 को सायं पॉच बजे तक पूर्ण करना होगा ।

14. कार्य समय पर व संतोषजनक नही होने पर निगम दस प्रतिशत तक पेनल्टी लगाने हेतु अधिकृत रहेगी।

15. दरें जी.एस.टी. के अतिरिक्त सभी करों सहित प्रस्तुत करनी होगी । जी.एस.टी.नियमानुसार अलग से देय होगा।

16. जी.एस.टी./बिक्री कर/सेवा कर सम्बन्धी पंजियन प्रमाण–पत्र एवं क्लीयरेन्स प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी ।

18. पूर्व में जिन निविदाकारों ने उत्सव में कार्य किया उनका आचरण/व्यवहार तथा मेलाधिकारियों के निर्देशें की अवहेलना भी निविदा स्वीकृति/ अस्वीकृत का महत्वपूर्ण कारक होगा।

19. कार्य आदेश प्राप्ति के दो दिवस के भीतर 500/– रू0 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा

20. निम्न मामलों में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगीः–
   अ. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व अपनी दर वापस लेता या उसमें संशोधन करता है।
   ब. जब निविदा दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार का निष्पादन नही करता है तथा आदेश के बाद धरोहर राशि जमा नही करवाता है।
   स. आदेश के बाद कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है।

21. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सबलेट) पर नहीं देगा ।

22. सा. वि. एवं ले. नि. भाग II के नियम 68 के प्रारूप सं. 16 में खुली निविदा के लिए शर्ते क्र.सं. 1 से 42 तक लागू रहेगी जो कि मुझे मान्य है ।

23 अपरिहार्य कारणो जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि की वजह से उत्सव आयोजन स्थगित या निरस्त भी किया जा सकता है । जिसके लिये निगम का कोई उतरदायित्व नही होगा तथा जब भी उक्त उत्सव आयोजित किया जायेगा तब समस्त कार्य उक्त निविदा मे स्वीकृत दरो पर ही करना होगा ।

24 देय करों के भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम
व पोस्टल पते के साथ
दूरभाष नं.
मोबाईल नं.

नोट– कृपया इस पर हस्ताक्षर कर लिफाफा निम्न प्रपत्रो के साथ डाले ।

1. अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति जो कि **एक अल्पकालीन आयोजन मे गत 2 वर्षो में से किसी एक वर्ष में न्यूनतम कार्य आदेश 00.40 लाख** का होना चाहिये तथा कार्य संतोषजनक पूर्ण होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।
2. धरोहर राशि का डी.डी./जमा की रसीद।
3. उपलब्ध सामग्री की सूची ।